

कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम (म.प्र.)

:: नीलामी विज्ञप्ति ::

क्रमांक : 1464/लेखा/25

रतलाम, दिनांक 11/04/2025

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम के जिला मुख्यालय रतलाम पर दो अनुपयोगी शासकीय वाहन Mahindra XYLO MP-02-HC-0156 (Year 2010) एवं Mahindra XYLO MP-02-HC-0157 की सार्वजनिक नीलामी जैसी स्थिति में है उसी स्थिति में दिनांक 28.04.25 (सोमवार) को दोपहर 2 से 3 बजे के मध्य में पृथक-पृथक की जाना है। उक्त Mahindra XYLO MP 02 HC 0156 (Year 2010) की Offset value Rs. 1,65,000/- तथा Mahindra XYLO MP 02 HC 0157 (Year 2010) की Offset value Rs. 1,72,000/- निर्धारित की गई है।

इस हेतु बोलीदार को प्रत्येक वाहन के लिए रुपये 5,000/- (अक्षरी पांच हजार रुपये मात्र) की नगद धरोहर राशि नजारत अनुविभाग, जिला न्यायालय रतलाम में दिनांक 27.04.25 को सायं 5 बजे तक जमा कराना आवश्यक होगी। साथ ही बोली अंतिम होने पर जमा कराई गई धरोहर राशि के समायोजन पश्चात शेष संपूर्ण धनराशि का भुगतान बोली अंतिम होने के अगले कार्य दिवस तक जमा कराना होगा और असफल बोलीदार की धरोहर राशि नीलामी कार्यवाही संपूर्ण होने के पश्चात् तत्काल वापस लौटायी जावेगी। वाहन का भौतिक निरीक्षण न्यायालय परिसर रतलाम में किया जा सकेगा।

नीलामी की शर्तें निम्नानुसार रहेगी :-


1. वाहन जिस हालत में है, उसी हालत में सौंपा जावेगा।
2. निर्धारित तिथि एवं समय-सीमा के पश्चात नीलाम बोली मान्य नहीं होगी। माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश रतलाम द्वारा नीलाम बोली की समय-सीमा बढ़ाई जा सकेगी।
3. वाहन की धरोहर राशि प्रत्येक वाहन हेतु राशि 5,000/- रुपये दिनांक 27.04.25 को सायं 5 बजे के पूर्व जिला नाजिर को नजारत अनुविभाग, जिला न्यायालय, रतलाम में नगद जमा कर रसीद प्राप्त करना होगी।
4. असफल बोलीदारों की धरोहर राशि वापस कर दी जावेगी।
5. सफल बोलीदारों की धरोहर राशि का समायोजन स्वीकृत राशि के विरुद्ध किया जावेगा तथा क्रेता को नीलामी स्वीकृति के अगले कार्य दिवस तक समस्त राशि जमा करानी होगी।
6. सफल बोलीदार द्वारा अपरिहार्य कारणों से वाहन लेने से इन्कार करने पर जमा की गई धरोहर राशि 5,000/- रुपये राजसात की जाकर, नीलाम कार्यवाही हेतु नवीन तिथि निर्धारित की जाकर नीलाम कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।
7. नीलामी के किसी बिंदु पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम का होगा।
8. बोलीदार उल्लेखित वाहन का अवलोकन कार्यालयीन समय में जिला नाजिर, नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय रतलाम को सूचना देकर प्रातः 11 से 2 बजे के मध्य जिला न्यायालय परिसर रतलाम में कर सकते हैं।
9. सफल बोलीदार को वाहन 03 दिवस के भीतर समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अनिवार्य रूप से ले जाना होगा।
10. ऐसे बोलीदार जिनके द्वारा अधिक बोली लगाई जाकर वाहन क्रय किया जाता है वे जिला परिवहन विभाग से अंतरण संबंधी कार्यवाही में होने वाले व्ययों का भुगतान स्वयं वहन करेंगे।

(नीलामी आशापुरे)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रतलाम म.प्र.

प्रतिलिपि :-

01. आयुक्त जनसंपर्क, संचालनालय विज्ञापन शाखा, बाणगंगा रोड, भोपाल की ओर निःशुल्क प्रचार/प्रसार हेतु प्रेषित।
02. जिला जनसंपर्क अधिकारी, रतलाम की ओर विज्ञापित निःशुल्क प्रकाशन हेतु प्रेषित।
03. प्रभारी अधिकारी, नजारात अनुभाग, रतलाम की ओर भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञापित जिला न्यायालय रतलाम एवं कलेक्टर कार्यालय एवं सार्वजनिक स्थलो पर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराया जाना सुनिश्चित करें साथ ही नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण होने पर प्रतिवेदन शीघ्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
04. श्री वरुणकांत मिश्रा, जूनियर सिस्टम एनॉलिस्ट, जिला न्यायालय, रतलाम को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त शासकीय वाहन की नीलामी की विज्ञापित ऑनलाईन प्रकाशित करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
05. लेखापाल, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय रतलाम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(नीना आशापुरे)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रतलाम म.प्र.